न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 15/2021।

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण
1 प्रकाश चंद पंचारिया पुत्र श्रवणलाल जाति ब्राह्मण निवासी जगदंबा चौक, श्रीबालाजी तहसील व जिला नागौर।
फर्मः–चेतक उद्योग, श्रीबालाजी तहसील व जिला नागौर।
2 सुखदेव शर्मा पुत्र नंदकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी मु.पो. श्रीबालाजी तहसील व जिला नागौर
फर्मः–चेतक उद्योग, श्रीबालाजी तहसील व जिला नागौर।
3 फर्मः–चेतक उद्योग, श्रीबालाजी तहसील व जिला नागौर।

आदेश दिनांक :06.01.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 09-11-2020 को मैसर्स चेतक उद्योग श्रीबालाजी तहसील व जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ चिली पाउडर (शाही चेतक ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1419 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 566/एक्ट/2020/263 दिनांक 13.11.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ चिली पाउडर (शाही चेतक ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण प्रकाश चंद पंचारिया पुत्र श्रवणलाल जाति ब्राह्मण निवासी जगदंबा चौक, श्रीबालाजी तहसील व जिला नागौर, सुखदेव शर्मा पुत्र नंदकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी मु.पो. श्रीबालाजी तहसील व जिला नागौर तथा चेतक उद्योग श्रीबालाजी तहसील व जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 29-01-21 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 06.01.2022 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब मे बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी कारखाने से लाल मिर्ची 500 ग्राम (शाही चेतक) का मिसब्राण्ड होना पाया गया मैंने इस गलती को सुधार लिया है। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। अतः कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 566/एक्ट/2020/263 दिनांक 13.11.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ चिली पाउडर (शाही चेतक) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1 प्रकाश चंद पंचारिया पुत्र श्रवणलाल जाति ब्राह्मण निवासी जगदंबा चौक, श्रीवालाजी तहसील व जिला नागौर, अप्रार्थी संख्या 2 सुखदेव शर्मा पुत्र नंदकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी मु.पो. श्रीवालाजी तहसील व जिला नागौर तथा अप्रार्थी संख्या 3 चेतक उद्योग श्रीबालाजी तहसील व जिला नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अति. जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)